कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या–9/उपा०कीट०अनु०–30/2014– /कृ0, पटना, दिनांक ....दिसम्बर, 2015

प्रेषक,

बी0 कार्तिकेय, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री कुनाल सेन,
मेसर्स माइक्रो बैक इण्डिया
सी0–12 पी0,इन्डस्ट्रीयल एरिया,
हाजीपुर, वैशाली

विषय :– **कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति सं0–120 दिनांक 31.07.2014 वैद्यता तिथि 31.12.2014 का पता परिर्वतन के साथ नवीकरण के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपसे प्राप्त आवेदन पत्र, कोषागार चालान, अन्य संगत कागजातों एवं सहायक निदेशक (पौ0 सं0), वैशाली हाजीपुर से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के तहत् **स्वनिर्मित कीटनाशियों के विनिर्माण अनुज्ञप्ति एवं प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की वैद्यता तिथि के आलोक में** कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति सं0–120 दिनांक 31.07.2014 वैद्यता तिथि 31.12.2014 **का नवीकरण दिनांक 31.12.2016 तक के लिए किया जाता है।** साथ ही प्रतिष्ठान का बिक्री सह गोदाम स्थल का पता H/O छवि कुमारी, पति–श्री संजय कुमार, जकरियापुर, कृष्णा निकेतन विद्यालय के पीछे, बड़ी पहाड़ी रामकृष्ण नगर पटना–7 से सी0–12 पी0, इन्डस्ट्रीयल एरिया, हाजीपुर, वैशाली किया जाता है।

क्र०	कीटनाशी का नाम
1	Pseudomonas Fluorescence 0.5%WP
2	Trichoderma Viride 1.0% WP

2–उपरोक्त कीटनाशी का भण्डारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, में विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भण्डार स्थल पर किया जायेगा:– मेसर्स माइक्रो बैक इण्डिया सी0–12 पी0, इन्डस्ट्रीयल एरिया, हाजीपुर, वैशाली

3–यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम, 1968 नियमावली, 1971 आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4–अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/प्रदर्शन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5–भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6–नियम 10 बी0 के तहत् सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

7–अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना एवं संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

8–अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विर्निमाता के अतिरिक्त राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरूद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

9– कीटनाशी अनुज्ञप्ति सं0–120 दिनांक **31.07.2014** मूल रूप में संलग्न हैं। कृपया पावती की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(बी0 कार्तिकेय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5733 /कृ0, पटना, दिनांक ......08 दिसम्बर, 2015

प्रतिलिपि– (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

08/12/15

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।